श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)

संशोधित विज्ञप्ति

क्रमांक/भर्ती/अ.शै/सा./श्री.क.न.कृ.वि./2018/2024 **दिंनाक:19.5.2018** 22

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के विज्ञापन संख्या श्रीकनकृवि/2017/2 दिनांक 16.08.2017 में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जारी आदेशों की अनुपालना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है –

1. भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों के लिए आरक्षण कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक:एफ.5(18)कार्मिक/क–2/ 84 पार्ट–।। दिनांक 17.04.2018 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है) के अनुसार देय होगा।

2. आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड–3 एवं क्लर्क ग्रेड–2 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को कार्मिक (क–2)विभाग, राज.सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक::एफ.3(8)कार्मिक/क–2/ 2013 दिनांक 18. 04.2018 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है) की अनुपालना में प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र के न्यूनतम अकों में 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।

3. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक–:एफ.8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क देय होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जॉच दस्तावेजों के सत्यापन के समय आवश्यक रुप से प्रस्तुत करना होगा।

4. आशुलिपिक एवं आशुलिपिक ग्रेड–3 में परीक्षा के फेज–1 में वर्गवार प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फेज–2 में प्रवेश दिया जायेगा एवं सम्बंधित वर्ग के कुल पदों के विरुद्व 1 पद के विरुद्व 8 के अनुपात में द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों को बुलाया जायेगा।

5.धौलपुर/भरतपुर के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के लिये कार्मिक (क–2) विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक फ.17(9)कार्मिक/क–2/15 पार्ट दिनांक 17.05.2018(कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है) की अनुपालना की जायेगी।

6.कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 7(2)/कार्मिक/ए–2/84 पार्ट दिनांक 6.3.2018 के अनुसार आयु सीमा में संशोधन किया जाता हैं।(विस्तृत सूचना कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है)

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के विज्ञापन संख्या श्रीकनकृवि/2017/2 दिनांक 16.08.2017 में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जारी आदेशों की अनुपालना में उक्त विज्ञापन में संशोधन प्रस्तुत करने की समय सीमा 5 जून,2018 तक बढाई जाती हैं।

विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

कुल सचिव